राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 65(2)खा.वि./पीएमयूवाय/2022 जयपुर, दिनांकः .04.2023

समस्त जिला कलेक्टर (रसद)
राजस्थान।

विषयः– मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 में "BPL तथा PM Ujjwala Yojana में शामिल परिवारों को दिनांक 01.04.2023 से LPG गैस Cylinder 500 रूपये में उपलब्ध करवाये जाने हेतु पंजीकरण के संबंध में" दिशा–निर्देश।

मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के लाभार्थियों (BPL एवं PM Ujjwala Yojna में चयनित परिवार) को 500 रूपये में LPG गैस सिलेण्डर का लाभ दिनांक 01.04.2023 से देय होगा। मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के लाभार्थियों को 500 रूपये में LPG गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु दिनांक 24 अप्रेल, 2023 से 30 जून, 2023 तक समस्त राज्य में "महंगाई राहत कैम्प", प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित किये जा रहे है। उक्त शिविरों के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

➢ <u>**पंजीकरण की प्रक्रिया :–**</u>

- मंहगाई राहत कैम्प में अन्य योजनाओं के साथ–साथ मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना का अनुदान प्राप्त करने वालों लाभार्थियों का पंजीयन किया जाना है। लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का डाटा संबंधित गैस कम्पनियों से प्राप्त करके DOIT द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है।
- लाभार्थी उक्त कैम्पों में गैस कनैक्शन डायरी अथवा पूर्व में जारी रसीद की प्रति एवं जनाधार कार्ड के साथ उपस्थित होगा। लाभार्थी द्वारा निर्धारित काउंटर पर अपना गैस कन्जुमर कमांक दर्ज करवाया जा सकेगा। जिसका सॉफ्टवेयर में दर्ज डाटा से लिंक होने पर लाभार्थी के जनाधार से जुडे बैंक खाते में अनुदान हेतु सफल पंजीकरण किया जाकर लाभार्थी को मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर गारंटी कार्ड सुपुर्द किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को दिया जावेगा जो कैम्प में उपस्थित होकर योजना में अपना पंजीकरण करवायेगें।
- इस प्रकार प्रथम चरण में लाभार्थियों का पंजीकरण किया जायेगा।
- अतः मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के संबंध में लाभार्थियों का अधिक से अधिक पंजीकरण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करावें एवं मंहगाई राहत शिविरों का प्रभावी निरीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram
Designation: Additional Commissioner
Date: 2023.04.19 14:22:34 IST
Reason: Approved

(कालूराम)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, वित्तीय सहालकार, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. **समस्त जिला रसद अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के संबंध में IEC (Information, Education and Communication) एक्टिविटी के माध्यम से लाभार्थियों का अधिक से अधिक पंजीकरण हेतु व्यापक प्रचार—प्रसार करना। योजना का लाभ 01 अप्रेल, 2023 से दिया जाना है अतः 01 अप्रेल, 2023 के बाद प्राप्त किये गये गैस सिलेण्डर की रसीद पंजीकरण होने तक संभालकर रखने हेतु उपभोक्ता को सूचित किया जाये। साथ ही लाभार्थी शिविरों का स्वयं एंव अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जावें।**
12. वरिष्ठ तकनीकि, निदेशक, (NIC), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक एवं जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त योजना के संबंध में व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रोग्रामर (DOIT), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त जारी दिशा—निर्देशों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
15. रक्षित पत्रिका।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram
Designation : Additional Commissioner
Date: 2023.04.19 14:22:34 IST
Reason: Approved